झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा पदाधिकारी (मूलकोटि) के पदों पर बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा पदाधिकारी (मूलकोटि) के **कुल–26** पद पर बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा **(विज्ञापन संख्या–20/2023)** हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम आयोग कार्यालय में **दिनांक–24.03.2025** को पूर्वाह्न–10:00 बजे से अपराह्न–5:00 बजे तक आयोजित है।

2. आयोग द्वारा अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची कारण सहित आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर अपलोड कर दिया गया है।

3. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा पदाधिकारी (मूलकोटि) के पदों पर बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–20/2023) के संबंध में आवश्यक अनुदेश।

1. औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम आयोग कार्यालय में **दिनांक–24.03.2025** को पूर्वाह्न–10:00 बजे से अपराह्न–5:00 बजे तक आयोजित है।

2. अभ्यर्थी बुलावा पत्र में अंकित निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन हेतु पूर्वाहन–10:00 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

3. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार **दिनांक–20.03.2024** से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नं0–919431301636 पर कार्यदिवस में पूर्वाहन्–10:30 बजे से अपराहन्–5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

4. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

(i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र।
(ii) भारतीय चिकित्सा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0 डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र (उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण सभी सेमेस्टर सहित)।
(iii) चिकित्सक के रूप में निबंधन संख्या प्रमाण पत्र।
(iv) मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष की इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र।
(v) जाति प्रमाण पत्र।
(vi) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
(vii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(viii) अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(ix) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।
(x) पहचान पत्र (आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेंस)

नोटः– अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I, पिछड़ा वर्ग–II, EWS कोटि में आरक्षण का लाभ हेतु विज्ञापन की कंडिका–9 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. अभिलेख सत्यापन हेतु कार्यक्रम जो आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है उसके आलोक में अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।

6. अभिलेख सत्यापन/घोषणा कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

7. साक्षात्कार हेतु कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जाएगी।

8. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

कृ0पृ0उ0